

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल

क्रमांक एच. ए. 49-1/93/20-2/99-2
प्रति

दिनांक भोपाल, दिनांक 1.9.2000

030
13/9/2000
विभागाध्यक्ष

संवालय, शिक्षा, म. प्र. शासन, शिक्षा विभाग, भोपाल

राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

भोपाल

आचार्य प्राथमिक पाठशाला, विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, म. प्र. की ओर आचार्य एवं शिक्षण माध्यम शिक्षण-केन्द्र [डिप्लोमा, डिप्लोमा फार इंग्लिश], बिलासपुर म. प्र. की योजना शीर्ष में आचार्य पदों का प्रस्ताव दिनांक 1.3.2000 से 28.2.2001 तक

संदर्भ:- संवालय, आंगन भाषा शिक्षण संस्थान, भोपाल का शायन ए. डी. पी. 702/99/1092 दि. 23.12.99

राज्य शासन इस विभाग के समस्त कार्य शायन दि. 26.3.99 के अन्तर्गत में आंगन भाषा विभागाध्यक्ष बिलासपुर के लिये नीचे दिये गये पदों को दि. 1.3.2000 से 28.2.2001 तक निरंतर रखने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र. सं.	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1.	प्राचार्य	एक [1]	9000 - 13500
2.	व्याख्याता	तीन [3]	5500 - 9000
3.	नि. श्रे. नि.	एक [1]	3050 - 4590
4.	टाईपिस्ट	एक [1]	3050 - 4590
5.	दुराय	एक [1]	2550 - 3200

दस्तावेज-सात [7]

उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या- 27-2202 सामान्य शिक्षा [105] शिक्षा विभाग का प्रविष्टि है-इस अंतर्गत भाषा पढ़ाई संस्थान भोपाल आयोजित अन्तर्गत विज्ञानीय होगा

मध्य प्रदेश के राज्य पाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Chakrabarti

[पंजी. सहायक शाखाध्यक्ष]

उपर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

PRINCIPAL
Govt. College Education
BILASPUR (M.P.)

निरंतर 2/

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृ०क्र० 233/समा.र.146/88/बी-3/
दिनांक 23/2/89 द्वारा महानिदेशाकार म०प्र० ग्वालियर को पृष्ठान्कित की गई है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशाकार,

हस्ताक्षर -
के०पी० विनायक
अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

संचालनालय लोक शिक्षा
मध्य प्रदेश।

पृ०क्र० विभा/समा/बीटीआई/12/89/457 भोपाल, दिनांक 19/4/89

प्रतिलिपि: -

- 1- सास्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षा मध्य प्रदेश।
- 2- संयुक्त संचालक लोक शिक्षा संचालनालय स्थापना 1,2,3,4 बजट एवं योजना की ओर सुचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अंग्रेजित। जिला शिक्षा एवं

प्रशिक्षण संस्थान की सूची संलग्न है।

3- प्राचार्य जिला-शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जीरापुर, राज्या
बीजपुर, नन्दार, गंदतौर, पदतौर, हला, दणोड, पचमडी, होंगियापार, राजपुर

उशा, अमलपुर, दस्तार, गेडा, पिलापुर, धर्मजयपुर, राजगढ़, मण्डला, मण्डला
राजगढ़, राजगढ़, गडोला, गडोला, येतेरा, दुर्गा, कपूरगढ़, मुन्ना, प्रतापपुर, टटम, पैतल

की ओर सुचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अंग्रेजित।

संलग्न: नम्बरों द्वारा संज्ञाएं।

दृते: संचालक लोक शिक्षा
मध्य प्रदेश।

राज्य प्रशासन,
 स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 23/2/89

क्रमांक 306/3139/20-2/88

प्रति,

आयुक्त,

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश,

भोपाल।

विषय: केन्द्र प्रवर्तित योजना - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में पद निर्माण विषयक।

संदर्भ: संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का ज्ञापन क्रमांक 11712 दिनांक 26/7/88

जज

राज्य शासन केन्द्र प्रवर्तित योजना - जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत राज्य के 15 जिलों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में परिशिष्ट-1 में उल्लेखित पदों को उनके तदनुसार दायरे में नियुक्ति के दिनांक से 28/2/89 तक निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान करता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से पूर्व संचालित पुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के सभी पद विलोपित किये जाते हैं।

इस कार्य पर होने वाले व्यय की पूर्ति सर्व प्रथम वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 226-227/सीआर. 471/89/पीएस-3/4 दिनांक 16/2/89 द्वारा स्वीकृत आकस्मिकता निधि अग्रिम रु 10.00 लाख से की जावे। तत्पश्चात् व्यय अन्तिम रूप से प्राग संख्या 27-पीएस-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्राथमिक शिक्षा-105-शिक्षकों का प्रशिक्षण-008-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मांग संख्या-27

पीएस-2202-सामान्य शिक्षा

01-प्राथमिक शिक्षा

105-शिक्षकों का प्रशिक्षण

008-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

150/1/89

	2	3	4
3-	वरिष्ठ व्याख्याता	6	1820-3300
4-	व्याख्याता	15	1540-2740-100 रु० प्रतिमाह विशेष वेतन
5-	गणक	1	1200-1800
6-	कार्यालय अधीक्षक	1	1540-2740
7-	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1290-2040
8-	स्टेटी ग्रायन	1	1540-2740
9-	स्टेनो	1	1210-2040
10-	कार्यानुभव शिक्षक	1	1290-2040
11-	उच्च श्रेणी लिपिक	1	975-1650
12-	निम्न श्रेणी लिपिक	7	870-1010
13-	प्रयोगशाला सहायक	2	975-1210
14-	भृत्य	5	752-900

8- जिला शिक्षा सर्व-प्रशिक्षण संस्थान क्रमांक 1 रायपुर

1-	प्राचार्य	1	2650-4200
2-	उप प्राचार्य	1	1940-3300
3-	वरिष्ठ व्याख्याता	7	1820-3300
4-	व्याख्याता	17	1540-2740-100 रु० प्रतिमाह विशेष वेतन
5-	गणक	1	1200-1800
6-	कार्यालय अधीक्षक	1	1540-2740 , 1640-2970
7-	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1290-2040 - 1400-2340
8-	स्टेटी ग्रायन	1	1540-2740 - 1640-2970
9-	स्टेनो	1	1210-2040 - 1200-2040
10-	कार्यानुभव	1	1290-2040 - 1400-2340
11-	उच्च श्रेणी लिपिक	1	975-1650 1150-1800
12-	निम्न श्रेणी लिपिक	8	870-1010 950-1530

13-	प्रयोग सहायक	1200-2300	2	975-1210	-2
14-	भृत्य	750-900	5	725-900	-2

9- जिला शिक्षा एवं प्रशासन संस्थान जगदलपुर, जिला पल्लार

1-	प्राचार्य		1	3200-4500	-2
2-	उप प्राचार्य		1	2650-4200	-01
3-	वरिष्ठ व्याख्याता		7	1820-3300	-11
4-	व्याख्याता		17	1540-2740-100	100 प्रतिमाह विशेष वेतन
5-	गणक		1	1200-1800	-21
6-	कार्यालय अधीक्षक		1	1540-2740	-11
7-	पुस्तकालय अधिकारी		1	1290-2040	-8
8-	स्टेडी		1	1540-2740	-1
9-	स्टेनो		1	1210-2040	-2
10-	कार्यालय अधीक्षक		1	1290-2040	-2
11-	उच्च श्रेणी लिपिक		1	975-1650	-4
12-	निम्न श्रेणी लिपिक		8	870-1010	-2
13-	प्रयोग सहायक		2	975-1210	-2
14-	भृत्य		5	725-900	-2

10- जिला शिक्षा एवं प्रशासन संस्थान पेण्ड्रा, जिला मिलासपुर

1-	प्राचार्य		1	2650-4200	-2
2-	उप प्राचार्य		1	1950-3300	-01
3-	वरिष्ठ व्याख्याता		7	1820-3300	-11
4-	व्याख्याता		17	1540-2740-100	100 प्रतिमाह विशेष वेतन
5-	गणक		1	1200-1800	-21
6-	कार्यालय अधीक्षक		1	1540-2740	-11

क्रमांक 226/3139/20-2/38

भोपाल, दिनांक 23/2/39

प्रति,

आरुक्ता,

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश,

भोपाल।

विषय: केन्द्र प्रवर्तित योजना " जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में पद
निर्माण विषयक।

संदर्भ: संघातक राज्य कौशल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का ज्ञापन क्रमांक
11712 दिनांक 26/7/39

उत्तर

राज्य शासन केन्द्र प्रवर्तित योजना " जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
के अंतर्गत राज्य के 15 जिलों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में परिशिष्ट-1
में उल्लेखित पदों को उनके तय हो जाने के तदनन्तर में नियुक्ति के दिनांक से
28/2/39 तक निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान करता है। जिला शिक्षा एवं
प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना से पूर्व संघालित सुनियोजित प्रशिक्षण संस्थाओं के
सभी पद खिलोपित किये जाते हैं।

इस कार्य पर होने वाले व्यय की पूर्ति का प्रथम वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक
226-227/सीआर. 471/39/पीएच-3/4 दिनांक 16/2/39 द्वारा स्वीकृत आकस्मिकता
निधि अग्रिम रु० 10.00 लाख से की जावे। तत्पश्चात् व्यय अन्तिय स्म से मांग
संख्या 27-जीआर-2202-सागान्य शिक्षा-01-प्राथमिक शिक्षा-105-शिक्षाको का
प्रशिक्षण-003-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना
के अंतर्गत विकलनीय होगा।

क्रमांक डी/2692/20-2/88,

भोपाल दिनांक

प्रति,

संचालक,

राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

मध्य प्रदेश भोपाल ।

विषय:- केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना ।

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का ज्ञापन क्रमांक डी 10056 दिनांक 2/7/88

=====

राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1987-88 में प्रदेश की निम्न चयनीकृत 15 बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्मयन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में किये जाने से इन संस्थाओं के नाम में परिवर्तन कर इन संस्थाओं के नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

- 1/ बुनियादी प्रशिक्षण संस्था अलीराजपुर झाबुआ मध्यप्रदेश
- 2/ बुनियादी प्रशिक्षण संस्था बीजपुर जिला इन्दौर म0प्र0
- 3/ बुनियादी प्रशिक्षण संस्था मंदसौर जिला मंदसौर म0प्र0
- 4/ बुनियादी प्रशिक्षण संस्था हटा दमोड
- 5/ बुनियादी प्रशिक्षण संस्था बजरंगगढ़ गुना
- 6/ बुनियादी प्रशिक्षण संस्था प्रभातपट्टन जिला बैतूल म0प्र0
- 7/ बुनियादी प्रशिक्षण संस्था पचमढी होशंगाबाद
- 8/ बुनियादी प्रशिक्षण संस्था कुं0 1, रायपुर
- 9/ बुनियादी प्रशिक्षण संस्था जगदलपुर बस्तर
- 10/ बुनियादी प्रशिक्षण संस्था पेन्ना बिलासपुर
- 11/ बुनियादी प्रशिक्षण संस्था धर्मज्यंगढ़ रायगढ़
- 12/ बुनियादी प्रशिक्षण संस्था मंडला मंडला
- 13/ बुनियादी प्रशिक्षण संस्था राजगढ़ राजगढ़
- 14/ बुनियादी प्रशिक्षण संस्था प्रहलीय प्रहलीय

====2=====

बुनियादी प्रशिक्षण संस्था बेमेतरा जिला

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

हस्ता/-

§रा०प्र० निगम§

अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पृ०क्र० डी 1300/2692/20-2/88, भोपाल, दिनांक 29/7/88

प्रतिलिपि :-

1/

आयुक्त लोक शिक्षण म०प्र० भोपाल को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रिम ।

2/

संचालक, राज्य शिक्षण संस्थान जहांगीराबाद भोपाल ।

हस्ता/-

§रा०प्र० निगम§

अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग

संचालनालय लोक शिक्षण

मध्य प्रदेश ।

प्रकाशन क्र० विद्या/सस/बु०प्र०सा०/5/88/ 7108/ ११० भोपाल, दिनांक 19/9/88

क्रमांक/2244/3966/20-2/91
प्रति,

भोपाल, दिनांक

आयुक्त लोक शिक्षण,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय:- प्रथम वरण में स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
में कान्टीजेन्सी भूत्यों के पदों के संबंध में ।

संदर्भ :- संवाक राज्‍य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का
पत्र क्रमांक डाइट/91/22531 दिनांक 26.9.91 ।

--:0:--

शासन के आदेश क्रमांक 386/3189/20-2/88 दिनांक

23-2-89 की प्रथम कण्डिका के अन्त में निम्नानुसार पदों को जोड़
कर पढ़ा जाये । कान्टीजेन्ट फेड भूत्यों आदि के पद यथावत
रहेगे ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 2097/सीआर-
3166/चार/ब-3 दिनांक 6.12.91 द्वारा महालेखाकार म०प्र०
ग्वालियर का पृष्ठांकित की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

॥ जी०पी० मरकाम ॥

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

कार्यालय, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशि.परि.म.प्र.भोपाल.

प.क्र. डाइट/92/993-1018

भोपाल, दिनांक 10.1.92

प्रतिलिपि:-

1/ आयुक्त, लोक शिक्षण

2/ संयुक्त संवाक लोक शिक्षण, संभाग ॥समस्त॥

3/ प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ॥समस्त॥

की ओर सूचनार्थ ।

संचालक 9-1-92

राज्‍य शैक्षिक अनुसंधान एवं परि.परि.

म.प्र., भोपाल.

Yashu
24/1/92

व्यक्ति (पुरा)

मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ०ए-१२। ७८ बी-२। २०।

भोपाळ, दिनांक १६ मई १९८०

प्रति,

संलग्नक लोक शिक्षाण
मध्यप्रदेश, भोपाळ।

विषय :- छात्रावासों में १५ प्रतिशत भृत्य रखने की स्वीकृति।

सन्दर्भ :- संलग्नक लोक शिक्षाण का ज्ञाप क्रमांक यो०का०।घ। ८०।३। ५८२ दिनांक १६-३-१९८०।

-०-

राज्य शासन समस्त शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के संलग्न छात्रावासों में भृत्यों की संख्या १५ अथवा छात्रावासों में प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या का १५ प्रतिशत जो भी कम हो, रखने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार -
हस्ताक्षर - हिन्दी में अस्पष्ट
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग
भोपाळ, दिनांक मई १९८०

पृष्ठांक क्रमांक एफ०ए-१२। ७८ बी-२। २०।

प्रतिरूपि, महालेखाकार, मध्यप्रदेश, रावाड़ियर की ओर सूनार्थ अर्पित।

हस्ताक्षर - अस्पष्ट
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग

लोक शिक्षाण संचालनालय
मध्यप्रदेश


पृष्ठांक क्रमांक यो०का०।घ। ८०।३। १०२० भोपाळ, दिनांक २२ मई १९८०

प्रतिरूपि :-

- १:- समस्त संगणकीय शिक्षाण अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
 - २:- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 - ३:- समस्त, प्राचार्य, शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्था, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।

संचालन
२१-५-८०

क्रमांक - संलग्नक लोक शिक्षाण
मध्यप्रदेश



छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याणसिंह भवन-रायपुर

केंद्र संख्या 3698
/2521/20/2005

रायपुर, दिनांक 3/9/05

प्रति,

संचालक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
छ.ग.रायपुर ।

विषय:- नवीन एवं उन्नयित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के सेटअप की स्वीकृति ।

राज्य शासन पांच बी.टी.आई. महासमुंद, नगरी, जांजगीर-चांपा, जशपुर एवं कांकेर को
डाईट में उन्नयन एवं चार नवीन डाईट कबीरधाम, दक्षिण बस्तर, कोरबा एवं कोरिया में खोलने हेतु
निम्नानुसार अस्थायी पद स्वीकृत किया जाता है:-

स.क.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या
1	प्राचार्य	10000-15200	9
2	उप प्राचार्य	8000-13500	9
3	ब्याख्याता	5500-9000	135
4	सहायक प्रोग्रामर	5000-8000	9
5	छात्रावास अधीक्षक	5000-8000	9
6	सहायक ग्रन्थपाल	4500-7000	9
7	सहायक ग्रेड-1	4500-7000	9
8	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	4500-7000	9
9	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	18
10	सहायक शिक्षक विज्ञान	4000-6000	18
11	डाटा इन्ट्री आपरेटर	3500-5200	9
12	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	54
13	भृत्य (आकस्मिक निधि)	कलेक्टर दर	36
14	चौकीदार (आकस्मिक निधि)	कलेक्टर दर	18
कुल			351

निरंतर..2

2/- पदों का संख्यावार विवरण निम्नानुसार है:-

क.	पदनाम	वेतनमान	संस्था का नाम									कुल
			महासमुंद	नगरी	जाजगीर —चांपा	जशपुर	कांकेर	कबीरघाम	दक्षिण बस्तर	कोरवा	कोरिया	
1.	प्राचार्य	10000-15200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
2.	उप प्राचार्य	8000-13500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
3.	व्याख्याता	5500-9000	15	15	15	15	15	15	15	15	15	135
4.	सहायक प्रोग्रामर	5000-8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
5.	छात्रावास अधीक्षक	5000-8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
6.	सहायक ग्रन्थपाल	4500-8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
7.	सहायक ग्रेड-1	4500-8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
8.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	4500-8000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
9.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
10.	सहायक शिक्षक विज्ञान	4000-6000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
11.	डाटा इन्ट्री आपरेटर	3500-5200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
12.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	6	6	6	6	6	6	6	6	6	54
13.	भृत्य (आक.निधि)	कलेक्टर दर	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
14.	घौकीदार (आक.निधि)	कलेक्टर दर	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
कुल			39	39	39	39	39	39	39	39	39	351

3/- पद संरचना आदेश में निम्नानुसार शर्तें रहेगी:-

1. सभी पद अस्थायी होंगे ।
2. चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद आकस्मिकता (कलेक्टर दर) के पद सहित सीधी भरती से नहीं भरे जावेंगे । पद अतिशेष कर्मचारियों से ही भरे जायेंगे ।

4/- इन पदों को भरने हेतु वित्त विभाग से अलग से सहमति प्राप्त की जानी है । इन्हें संस्थाओं की पद स्वीकृति के समस्त पूर्व आदेश निरस्त माने जावेंगे ।


निरंतर 3

..3..

5/- उपरोक्त व्यय मांग संख्या 27, स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (01) प्राथमिक शिक्षा (107) शिक्षकों का प्रशिक्षण 0101 केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य) 1502 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए आयोजना के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

6/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.नं. 435/1284/अ.3 दिनांक 1-9-05 के द्वारा प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(ए.पी.दाण्डे)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक

पृ.क. /2521/2005/20

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय-रायपुर,
 2. महालेखाकर, छ.ग.रायपुर,
 3. सचिव छ.ग. शासन आनु.जाति अनु.जन जाति मंत्रालय रायपुर
 4. आयुक्त आनु.जाति अनु.जन जाति विभाग
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग.रायपुर,
 6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़
 7. कलेक्टर, जिला.....
 8. प्राचार्य, डाईट.....
 9. प्राचार्य, बी.टी.आई.....
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

—0—

क्रमांक एफ 7-15/2010/20-एक
प्रति,

रायपुर, दिनांक 12/5/10.

✓ संचालक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
छत्तीसगढ़, रायपुर ।

● विषय :- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं अधीनस्थ संस्थाओं में स्वीकृत पदों में संशोधन/उन्नयन बाबत।

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य के सभी 16 डाईट के व्याख्याताओं के वर्तमान भिन्न-भिन्न संरचना को समाप्त करते हुए सभी डाईट के लिये निम्नानुसार एक समान पद संरचना स्वीकृत की जाती है:-

क्र०	पदनाम	वेतन बैंड एवं ग्रेड पे	पदों की संख्या
1.	वरिष्ठ व्याख्याता	15600-39100+5400	05
2.	व्याख्याता	9300-34800+4300	12

उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप व्याख्याता के कुल 49 पद समर्पित होंगे।

2/ आंग्लभाषा के संदर्भ में अन्य राज्यों में क्या स्थिति है कि जानकारी उपलब्ध करावें।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यूओकमांक 181/25193/वित्त विभाग/ब-3/2010, दिनांक 3.05.2010 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से


तथा आदेशानुसार

(Signature)

(विलियम कुजूर)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग



//2//

पृ0क्रमांक एफ 7-15/2010/20-एक
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक

1. निज सहायक, मान0 मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर,
2. सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त विभाग मंत्रालय रायपुर,
3. सचिव, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर
5. कोषालय अधिकारी जिला कोषालय रायपुर।

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

क्र.सं.	नाम	पद
20	0082+00782 0082	सहायक सचिव
27	0081+00828 0082	सहायक सचिव



Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a date '01/08/20' and a signature.

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर

---(0)---

क्रमांक एफ 7-15/20-एक/2010
प्रति,

रायपुर, दिनांक 23/8/12

संचालक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
छत्तीसगढ़ रायपुर.

विषय :- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं अधीनस्थ संस्थाओं के लिए स्वीकृत पदों में संशोधन विषयक।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/स्थापन/डाइट/सेटअप/2012-13/2303
रायपुर दिनांक 27.06.2012।

-----0-----

राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत (डाइट) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ व्याख्याता के स्थान पर सहायक प्राध्यापक पदनाम में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करता है।

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 313/1001048/वित्त विभाग/ब-3/2012 दिनांक 23.07.2012 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(Handwritten Signature)

(एम. एन. राजूरकर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक

पृ. क्रमांक एफ 7-15/20-एक/2010
प्रतिलिपि-


1. निज सहायक नानोय मंत्री जो स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर छ.ग.
 2. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर छ.ग.
 3. सचिव, छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर छ.ग.
 4. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनलय रायपुर छ.ग.
 5. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छ.ग. रायपुर
 6. कोषालय अधिकारी जिला कोषालय रायपुर छ.ग.
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

5947
23/08/2012
1/9/12

State Council of
Educational Research &
Training,



राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्,
शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष नं. 0771-2443297 फेक्स नं. 0771-2443596

Website : www.scert.cg.gov.in Email. scertcg@gmail.com

क्र./स्था. 1/डाइट/सेटअप/पद संशोधन/2012/3634 रायपुर दिनांक - 06 08 12
प्रति,

प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान.....

जिला.....

विषय:- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में स्वीकृत अकादमिक पदों में संशोधन /
उन्नयन बाबत।

संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन
रायपुर के आदेश क्रं. एफ 7-15/2010/20-एक दिनांक 12.05.2010 एवं
एफ 7-15/20-एक/2010 दिनांक 01.08.2012

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रं. एफ
7-15/2010/20-एक दि.12.05.2010 द्वारा राज्य के सभी 16 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण
संस्थान के व्याख्याताओं के वर्तमान भिन्न-भिन्न संरचना को समाप्त करते हुए सभी डाइट
के लिए एक समान पद संरचना स्वीकृत की गई है तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के उक्त पद संरचना में वरिष्ठ व्याख्याता का
पदनाम "सहायक प्राध्यापक" परिवर्तन की स्वीकृति आदेश क्रं. एफ 7-15/20-एक/2010
दिनांक 01.08.2012 द्वारा प्रदान की गई है। इस प्रकार राज्य के सभी 16 डाइट में
अकादमिक पदों हेतु निम्नानुसार पद संरचना होगी -

क्र.	पदनाम	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन	पदों की संख्या
1.	प्राचार्य	15600-39100 + 6600/-	01
2.	उप प्राचार्य	15600-39100 + 5400/-	01
3.	सहायक प्राध्यापक	15600-39100 + 5400/-	05
4.	व्याख्याता	9300-34800 + 4300/-	12
		कुल पद	19

इन अकादमिक पदों के अलावा पूर्व सेटअप के शेष पद यथावत रहेंगे।

उपरोक्त पद संरचना के अनुसार डाइट के कार्यरत रिक्त एवं अतिरिक्त पदों
की जानकारी नाम एवं विषय सहित शीघ्र परिषद् को भेजे।

संलग्न:-संदर्भित आदेशों की प्रति।

(अनिल राय)

संचालक

एस.सी.ई.आर.टी.

पृष्ठां.क्र./स्था. 1/डाइट/सेटअप/पद संशोधन/2012/3135 रायपुर दिनांक - 26-08-2012
 प्रति,

1. निज सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, डी.के.एस.भवन रायपुर।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ प्रेशन बाड़ा एकीकृत भवन रायपुर।
4. प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर।
5. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

संचालक

ए.सी.ई.आर.टी.

क्र.सं.	नाम	पद	वर्ग
10
11
12
13
14


...



कार्यालय- प्राचार्य, शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण

डोंगरगाँव, जिला- राजनांदगाँव (छ.ग.)

पत्र क्रमांक : स्वी.पद.सं.आदेश/2004/..... 131



प्रति,

संचालक,

छ.ग. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शंकरनगर शयपुर (छ.ग.)

विषय :- संस्थागत पद संरचना [सेटअप] आदेश की द्वाया प्रति एवं जानकारी विषय

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. स्था. 0-1/स्वी. पद संर. आदेश/2004/902 रायपुर दिनांक 05/05/04

उपरोक्त संदर्भित विषयानुसार शास. बुनि. प्रशि. संस्था डोंगरगाँव में वर्तमान लागू पद संरचना [सेटअप] निम्नानुसार स्वीकृत है। आदेश की द्वाया प्रतियाँ जो कार्यालय में उपलब्ध हैं संलग्न हैं। शेष बाँधित जानकारी कार्यालयीन अभिलेख के आधार पर तैयार कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

सं. क्र.	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	आदेश क्रमांक
1.	प्राचार्य	01	01	-	Vide E.D. memo NO. 15413/3185/XX
2.	व्यारुयाता	06	02	04	IV - Inty. dated 18.10.62 Above - & 44/10/75 E
3.	शिक्षक	02	02	-	2/20/A Bhopal dated 03-7-75 vide E.D. memo No. 15413/3185/XX - IV - Inty. dated 18.10.62
4.	व्यायाम निर्देशक	01	01	-	- Above -
5.	तबला शिक्षक	01	01	-	- do -
6.	संगीत शिक्षक	01	01	-	- do -
7.	लेखापाल	01	01	-	- do -
8.	सहा. लिपिक	01	01	-	- do -
9.	कुराशि	01	01	-	- do -
10.	भृत्य	01	01	-	- do -
11.	चौकीदार	01	01	-	- do -
12.	विज्ञान परिचारक	01	00	01	NO. 1629/199/20.3.68 Bhopal dt. 18.10.62
13.	आकस्मिक निधि भृत्य	15	03	12	Vide Ed. Deptt. M.P. Govt. स्था. 73/12/78B-2/20 Bhopal dated 16.5.80.

संलग्न -

① उपलब्ध कार्यालयीन आदेश की फोटोकॉपी
व्यपतियों में।

10/11/04
5/10/04

21. E.Ram
(एस. एस. कल) 16.3.04
प्राचार्य

शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्था,
डोंगरगाँव, जि. राजनांदगाँव (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर
===0===

क्रमांक एफ 1- 130 /2010/20-एक

रायपुर, दिनांक 27/10/10

प्रति,

संचालक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,
रायपुर छ0ग0।

विषय:- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रायपुर हेतु
अतिरिक्त पदों की स्वीकृति।


उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य शासन द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद रायपुर (ई0एल0टी0आई) हेतु अस्थाई रूप से दो सहायक प्राध्यापक
के पद निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0ओ0क0 367/30658/ब-3/2010/
दिनांक 27.10.2010 द्वारा प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अरुण कुमार सिंह)
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग



उत्तरीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
कोषालय
घाऊ कोषालय भवन-रायपुर

क्रमांक SCO /7845/20/2004
प्रति,

रायपुर, दिनांक 3/3/04
12

संचालक,
एस.सी.ई.आर.टी,
रायपुर ।

विषय:- एस.सी.ई.आर.टी. में मुद्रण सहा. ग्रेड-2 का पद निर्माण ।

राज्य शासन द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के स्वीकृत पदों में से सहायक श्रेणी-2 के वेतनमान 4000-6000 का एक पद समर्पित कर मुद्रण सहायक का एक पद उन्ही वेतनमान में निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृ.क्र. 98 /SR 37/अज-31-पर/2004 दिनांक 11-3-04 द्वारा महालेखाकार, रायपुर को पृष्ठांकित की गई है ।

श्री लालन । तपती

उत्तरीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

[Signature]
श्री एस.पी. दाण्डे

अवर सचिव
उत्तरीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ.क्र. /7845/20/2004
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक

1. सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, कोषालय-रायपुर को और तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित महालेखाकार, छ.ग. रायपुर को और पृष्ठांकित करने हेतु अग्रेषित ।
2. कोषालय अधिकारी, कोषालय, रायपुर को और सूचनाार्थ ।

[Signature]

अवर सचिव
उत्तरीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर

26/3

लालन तपती
अवर सचिव
कोषालय



कमांक/एफ 6-1/20/04
प्रति,

रायपुर, दिनांक 17-9-04

संचालक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
छत्तीसगढ़ रायपुर


विषय : सीमेंट के गठन के संबंध में ।

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य अनुसंधान एवं शैक्षणिक प्रबंधन संस्था (स्टेट इस्टीमेट आफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एवं ट्रेनिंग) (सीमेंट) की स्थापना का निर्णय लिया गया है । इस हेतु निम्नानुसार अस्थाई पद निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

कमांक पद	वेतनमान	संख्या	रिमार्क
1. प्राध्यापक	12000 - 16500	3	
2. सहा. प्राध्यापक	10000 - 15200	3	
3. सहा. प्राध्यापक	8000 - 13500	3	
4. कम्प्यूटर प्रोग्रामर	8000 - 13500	1	
5. वित्त अधिकारी	8000 - 13500	1	राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
6. सहा. ग्रंथपाल	4000 - 6000	1	
7. लेखापाल	4000 - 6000	1	
8. तकनीकी सहा. प्रशिक्षक	4000 - 6000	1	
9. डाटा इनट्री आपरेटर	3500 - 5200	2	
10. सहा. ग्रेड-3	3050 - 4590	1	
11. केयर टेकर	कलेक्टर दर	1	
12. भृत्य	कलेक्टर दर	3	
कुल		21	

उपरोक्त पद संरचना निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है ।

1. पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस हेतु वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त नहीं कर ली जावे ।
2. दर्शाये गये वेतनमान सही है इस बात की पूर्ष्टि कर ली गई है ।



2

उक्त व्यय मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (02) माध्यमिक शिक्षा 105 शिक्षकों का प्रशिक्षण 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (5569) सीमेंट का गठन आयोजना में विकलनीय होगा ।

456/SR-196/31/04

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक दिनांक 22 SEP 2004 द्वारा महालेखाकार छ.ग. रायपुर को पृष्ठांकित की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्य पाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एल.पी.दाण्डे)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठा.क्रमांक/एफ 6-1/20/04
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक 17/9/04

1. सचिव छ.ग. शासन वित्त विभाग रायपुर की ओर महालेखाकार छ.ग. को पृष्ठांकित करने हेतु अतिरिक्त तीन प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. संचालक लोक शिक्षण रायपुर
3. संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन रायपुर
4. जिला कोषालय रायपुर


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग

(1)

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

दाउ कल्याणसिंह भवन-रायपुर

कमांक 1665/423/20/05
प्रति,

रायपुर, दिनांक 25/4/05

संचालक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, रायपुर ।

विषय:- आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान (ईएलटीआई) के पदों की संरचना के संबंध में ।

राज्य शासन द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के अन्तर्गत आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान (ई.एल.टी.आई.) रायपुर की स्थापना हेतु निम्नानुसार अस्थाई पद के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क.	पद	वेतनमान	संख्या
1.	सहायक प्राध्यापक	8000-13,500	01
2.	व्याख्याता	6500-10500	02
3.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	01
4.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	01
5.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	3050-5200	01
6.	मृत्य	कलेक्टर दर	02
योग-			08

उपरोक्त पद संरचना निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता, सहायक ग्रेड-2 एवं सहायक ग्रेड-3 के पद प्रतिनियुक्ति से भी भरे जायेंगे ।
2. डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद की पूर्ति छत्तीसगढ़ (संविदा) नियुक्ति नियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी ।
3. उक्त व्यय मांग संख्या 27 स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (02) माध्यमिक शिक्षा 105 शिक्षकों का प्रशिक्षण 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (5647) राज्य स्तरीय अंग्रेजी प्रशिक्षण संस्थान का गठन आयोजना में विकलनीय होगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.नं. 238/675/बजट-3/चार दिनांक 21.4.2005 के द्वारा प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.एस.पैकरा)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

निरंतर-2

सिद्धि

25/4
उ.क.पुस्तक 25/4/05

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याणसिंह भवन-रायपुर

क्रमांक 906 / 103 / 20 / 2006
प्रति,

रायपुर, दिनांक 25/2/06

संचालक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,
छ.ग.रायपुर ।

विषय:- प्रकाशन प्रकोष्ठ में आर्टिस्ट एवं कम्प्यूटर डिजाइनर के पद स्वीकृति करने की संबंध में ।

राज्य शासन एतद् द्वारा संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. में स्वीकृत प्रकाशन प्रकोष्ठ के एक उप संचालक (वेतनमान 10,000-15,200) तथा एक सहायक श्रेणी-2 (वेतनमान 4000-6000) के पद को समर्पित करते हुए एक पद आर्टिस्ट तथा एक पद कम्प्यूटर डिजाइनर के पद की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.नं. 89/4361/बजट-3/ दिनांक 16.2.2006

के द्वारा प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एल.पी.दाण्डे)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 25/2/06

पृ.क. 907 / 103 / 2006 / 20
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय-रायपुर,
 2. महालेखाकार, छ.ग.रायपुर,
 3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छ.ग.रायपुर,
 4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

11

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन-रायपुर

क्रमांक एफ 7-20 / / 2012 / 20-एक
प्रति,

रायपुर, दिनांक 10/11/12

✓ संचालक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्,
छत्तीसगढ़, रायपुर ।

विषय:-सीमेट (एस.सी.ई.आर.टी.) के पद संरचना में स्वीकृत केयर टेकर एवं भृत्य के कलेक्टर दर के पदों को नियमित वेतनमान के पद घोषित करने बाबत ।

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ 6-1/20/04, दिनांक 17.09.2004, के द्वारा सीमेट (एस.सी.ई.आर.टी.) के पद संरचना में कलेक्टर दर पर स्वीकृत केयर टेकर एवं भृत्य के पदों को आकस्मिकता स्थापना में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान करता है ।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा यू.ओ. क्रमांक 279/100/200/वित्त विभाग/ब-3/2012, दिनांक 04.07.2012 द्वारा प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम.एन. प्रजूरकर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक एफ 7-20 / 2012 / 20-एक
प्रतिलिपि:-

- (1) विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन ।
- (2) प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
- (3) महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
- (4) कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, रायपुर ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

B.Com. Letter


-1027

11/12/12

उत्तीसगु शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन-रायपुर

क्रमांक 6373/1631/20/2002

रायपुर, दिनांक 27.12.02



पभारती संचालक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद, उ.ग. रायपुर ।

विषय:- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का विभागीय सेटअप ।

राज्य शासन द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
उ.ग. रायपुर को पद संरचना निम्नानुसार अस्थायी रूप से दिनांक 28.2.2003
तक स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत संख्या	वेतनमान	रिमांड
01.	02.	03.	04.	05.
1.	संचालक	1	14300-18300	क्र.1 से 8 तक का लेखा शीर्ष मार्ग संख्या-27-
2.	संबुद्धत संचालक	1	12000-16500	स्कूल शिक्षा 2202
3.	प्राध्यापक	3	10000-15200	सामान्य शिक्षा 02
4.	सहायक प्राध्यापक	13	8000-13500	माध्यमिक शिक्षा 101
5.	व्याख्याता	9	5500-9000	राज्य आयोजना सामान्य 105
6.	सहायक अधीक्षक	1	4500-7000	शिक्षकों का प्रशिक्षण 3694 राज्य शैक्षिक अनु. एवं प्रशिक्षण परिषद एवं एन.सी.ई.आर.टी. का पुनर्गठन आयोजनेत्तर के अंतर्गत निकलनीय होगा । प्रतिनियुक्ति पर
7.	सहायक सॉफ्टवेयर अधिकारी	1	5500-9000	
8.	लाइब्रेरियन	1	4500-7000	
9.	लेखाधिकारी	1	8000-13500	प्रतिनियुक्ति पर
10.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	2	4500-7000	क्र.9 से 25 तक लेखा शीर्ष मार्ग संख्या 27
11.	लेखापाल	2	4000-6000	स्कूल शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा 101
12.	सहायक वर्ग-2	3	4000-6000	राज्य आयोजना सामान्य 105
13.	सहायक ग्रेड-3	6	3050-4590	शिक्षकों का प्रशिक्षण 3694 राज्य शैक्षिक अनु. एवं प्रशिक्षण संस्थान
14.	स्टेनो टायपिस्ट	3	3050-4590	

SECRET
11/102
जी.मि.जे

01.	02.	03.	04.	05.
15.	डाटा रन्द्नी आबरेटर	2	3050-4590	
16.	बाहन चालक	1 ✓	3050-4590	
17.	चोकीदार	2	2550-3200	
18.	भूत्स	5	कलेक्टर दर	

//प्रकाशन प्रकोष्ठ//

19.	संयुक्त संचालक	1	12000-16500
20.	उप संचालक	1	10000-15200
21.	सहायक संचालक	1	8000-13500
22.	लेखापाल	1	4000-5000
23.	सहायक ग्रेड-2	3	4000-6000
24.	सहायक ग्रेड-3	5	3050-4590
25.	आक. निधि मृत्य	3	कलेक्टर दर

कुल- 72 पद

बद संरचना आदेश में निम्नानुसार शर्तें रहेगी:-

1. सेवा भरती नियमों में आवश्यक संशोधन करा लिया जावेगा ।
2. सभी पद अस्थायी होंगे ।
3. बद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस हेतु बिलत विभाग से पृथक से छूट प्राप्त नहीं कर लिया जावे ।
4. चतुर्थ श्रेणी के कोई भी बद आकस्मिकता कलेक्टर दर के बद सहित सीधी भरती से नहीं भरे जायेंगे । पद अतिशेष कर्मचारियों से ही भरे जायेंगे ।
5. दर्शाये गये सभी बेतनमान सही है, इस बात की बुद्धि कर ली गई है ।

बद स्वीकृति बिलत विभाग के वृ.क्र. 405 / 22-1653/13-3/20102
दिनांक 30-12-02 द्वारा महालेखाकार, छ.ग. रायपुर को वृष्ठीकित
की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
Sharma
27/1/02
रन्द्नी. प्रम. प्रालंकार

कार्यालय संचालक म०प्र०राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मोपाल.

क्रमांक/सस्ती ईआरटी/छत्तीसगढ़/2000/

मोपाल, दि०.

— आदेश —

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय मोपाल के द्वारा क्रमांक/393/ प्र०स०/स्कू-पि०/2000/दिनांक 28.10.2000 के अनुसार प्रस्तावित छत्तीसगढ़ राज्य में संचालक शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का राज्य स्तरीय कार्यालय रायपुर में स्थापित किया जाकर उत्कासंधान दिनांक 1.11.2000 से प्रारंभ किया जाना है। वहाँ विभागाध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों की पदस्थापना होने में समय लगने की संभावना है। अतः संचालनालय की व्यवस्था तुरंत ही से करना हेतु श्री पी.आर.गहिले, प्राचार्य, शांत-शिक्षा-बहा विद्यालय, बिनासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उनके सामर्थ्य में उक्त कार्य हेतु नामांकित एवं अधीकृत किया जाता है। श्री गहिले, यह ध्यान रखें कि छत्तीसगढ़ राज्य के सस्ती.ई.आर.टी. हेतु नियमित स्थान पर दिनांक 1.11.2000 से उक्त संचालनालय का संचालन प्रारंभ हो जाए।

संचालनालय की व्यवस्था हेतु परिषद द्वारा निम्न अधिकारियों को श्री गहिले के अधीनस्थ सस्ती.ई.आर.टी. छत्तीसगढ़ रायपुर में कार्य करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है।

1. श्री मीमदेव करमाकर, सहायक प्राध्यापक.
2. श्री रामचरण पट्टनायक, -"-
3. श्री आर.डी.सिंह, -"-
4. श्री मनोहर निखले, -"-
5. श्री रवि शंकर यादव, -"-

मिनिस्ट्रीयल एवं मूल्या की व्यवस्था हेतु प्राचार्य डा.राम रायपुर को निर्दिष्ट किया गया है।

! अमिता शर्मा !

संचालक

म०प्र०राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
मोपाल.

पृ०क्र०/सस्ती ईआरटी/छत्तीसगढ़/2000/ 6765-78 मोपाल, दि०. 30-10-2000
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मोपाल.
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मोपाल.
3. नोजन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य प्रकोष्ठ, रायपुर.
4. आयुक्त/कलेक्टर, रायपुर.
5. आयुक्त, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़ राज्य प्रकोष्ठ.
6. कोषालय अधिकारी, रायपुर.

// 2 //

7. प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर/बिलासपुर.
8. प्राचार्य, डाइट, रायपुर.
- ✓ 9. श्री पी.आर.गहने, प्राचार्य, शा. शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर.
की ओर सूचनायें एवं कार्यवाही हेतु ।

। अमिता शर्मा ।

संचालक

मध्यप्रदेश राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
भोपाल.

मध्य प्रदेश का पूर्व-सहायक के
द्वारा जारी किये जाने के
बिना अनुमति-मह
भोपाल-806/इ.स.पी.



पञ्जी क्रमांक पापान द्विवांजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

भाग 495]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 दिसम्बर 1982—दोष 4 शके 1904

स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 1982

विषय :—मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का गठन

संकल्प

मध्यप्रदेश शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना करने के संबंध में राज्य शासन ने निम्नलिखित संकल्प किया है।

2. मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस. सी. ई. आर. टी.) केन्द्र में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन. सी. ई. आर. टी.) के समान राज्य स्तरीय होगी। यदि परिषद् औपचारिक तथा औपचारिकतर स्कूल शिक्षा के लिये पाठ्यचर्या तथा पाठ्य पुस्तकें विकसित करना, शिक्षा को तकनीकी सहयोग देना, उचित मूल्यांकन की तकनीकी और प्रशिक्षण शिक्षा में लाना, शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करना, शैक्षणिक शोध तथा शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार आदि कार्य करेगी। परिषद् शैक्षणिक समस्याओं के हल करने में "दूरदर्शन-विद्यार्थी" प्रशिक्षण विकसित करेगी तथा स्कूल शिक्षा विभाग को एकडेमिक अंग के रूप में कार्य करेगी।

3. स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त राज्य स्तर संस्थान अर्थात् राज्य शिक्षा संस्थान भोपाल, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर, शिक्षा महविद्यालय एवं संशोधन महाविद्यालय जबलपुर, अंग्रेज भाषा शिक्षण संस्थान, भोपाल तथा पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर का संवर्धित विभाग अथवा परिषद् में होगा। राज्य स्तर संस्थानों के अधिकारी और कर्मचारी परिषद् के अंतर्गत उनके कार्यालयिक अंग के रूप में कार्य करेंगे।

4. राज्य के समस्त शिक्षा महाविद्यालय तथा बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएँ, परिषद् को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे, इन पर प्रशासनिक नियंत्रण संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का होगा और वे इन संस्थाओं के लिये विभागाध्यक्ष होंगे। इन संस्थाओं से संबंधित वित्तगत व्यय का जो कार्य लोक शिक्षण संचालक द्वारा किया जाता था वह अब राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को संचालक द्वारा किया जाएगा।

5. राज्य स्तर संस्थानों, शिक्षा महाविद्यालयों तथा बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति के अधिकार शासन अथवा लोक शिक्षण संचालक की हैं, उनका संबंध अलग न होकर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिन में रहेगा। अतः इन संस्थानों का "पर्सोनल मैनेजमेन्ट" अग्र्य आदेश होने तक संचालक लोक शिक्षण द्वारा ही किया जायेगा। लेकिन इनमें पदस्थ होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कम से कम तीन साल तक इन संस्थाओं से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की सहमति के बिना हटाया या स्थानांतरित नहीं किया जायेगा, जब तक कि पदोन्नति के लिये उनका हटाना आवश्यक न हो।

6. अतः लोक शिक्षण विभाग की जीवाजी बंध शाला, उज्जैन भी परिषद् को हस्तांतरित की जायेगी।

7. परियोजना में एक संयुक्त प्रांतीय शाखा प्रमुखों में परिषद् द्वारा शिक्षण सुधार समिति का कार्य कार्य किया जायेगा तथा प्रदेशीय स्तर पर भी इस स्थूल कामलेख को छोड़ कर अन्य स्तरों पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8. परिषद् की हस्तगत होने वाली शिक्षण संस्थाओं से संबंधित लोक शिक्षण संचालक के समक्ष से होने वाले कार्य परिषद् को हस्तगत होगा। लोक शिक्षण संचालक से जो शिक्षण संस्थाएं परिषद् की हस्तगत होंगी उनके संचालक के लिये आवश्यकता के आधार पर संचालनालय के भित्तने पर परिषद् के प्रस्तावों से हस्ताक्षरित कार्य प्रारम्भ होगा। लोक शिक्षण संचालक करेंगे और शासन को प्रतिवेदन देंगे।

9. विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी किये जायेंगे कि उनके द्वारा परिषद् के कार्य से पूर्ण सहयोग किया जाय। संचालक राज्य शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उन्हें भ्रष्ट शिक्षकों को जब भी संकेत मिले लाया जाये, वे उनमें शामिल होंगे। यदि समय कम हो तो इसके लिये अपने वरिष्ठ अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं।

10. राजा शासन ने यह भी संकल्प लिया कि उपर्युक्त विभिन्न निर्णयों को तत्काल कार्यान्वित किया जाय और यह कि संकल्प में उल्लिखित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाय।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को "मध्यप्रदेश राजपत्र" (प्रसाधारण) में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभागों, सभी विभागाध्यक्षों, सभी वर्कमैनरो, सभी कलेक्टरों, विभाग के सभी सहायक अधिकारियों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों को भेजी जायें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा धारित नाम से प्रयोग करने के लिये।

:: कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ ::

पत्र क्र./स्था./स्वी.पद.सं. आदेश/2004/1553

बिलासपुर दिनांक 24/3/2004

प्रति,

संचालक,

छ. ग. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
शंकर नगर रायपुर ।

विषय: -

सन्दर्भ: -

वर्तमान पद संरचना सेटअप आदेश की छाया प्रति भेजने बाबत ।
आपका पत्र क्रमांक /स्था. -1/स्वी.पद.सं/आदेश/2004/902/
रायपुर दिनांक 5.03.2004.

-:-

उपर्युक्त सन्दर्भांकित पत्र के अनुक्रम में इस महाविद्यालय में समस्त
स्वीकृत पदों की उपलब्ध आदेश की छाया प्रति संलग्न 8 प्रतियों में सादर प्रेषित है ।


संलग्न: - उपरोक्तानुसार

24.3.04
P. प्राचार्य,

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय
बिलासपुर छत्तीसगढ़

24/3/04

श्री एम. आर. चव्हाण
24/3



Re-organisation act shall stand up superseded with effect from 1-11-1956. Further, these orders shall not affect the pay etc., drawn by the persons concerned prior to the issue of orders of absorption or in their pay scales except in the manner and to the extent permissible in accordance with the provisions contained in the M.P. Unification of pay scales and fixation of pay on absorption rule, 1959. No appointments and promotions to or confirmations against any post sanctioned in the set-up made with retrospective effect.

5/ Further necessary action may please be taken accordingly.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh.

Sd/- K.P. Shrivastava,
Under Secretary to Government,
Madhya Pradesh,
Education Department.

Endt. No. 15412/3186/XX-IV/Integ. Bhopal, dated 18th Oct. 62.

Copy with a spare copy forwarded to the Finance Department, Bhopal for information and communication to the Accountant General, M.P, Nagpur.

Sd/- K.P. Shrivastava,
UNDER SECRETARY TO GOVT.

OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION,
Madhya Pradesh.

Endt. No. Set-up-1962-Misce, 21 Bhopal, dated the 9th Nov. 62

Copy of Education Department memo No. 15411/3186/XX-IV/Integ., dated 18-10-1962, is forwarded to:-

1. All the Principals, of Post Graduate Basic Training Colleges, Madhya Pradesh.
2. All Head-quarters Officers.
3. All Heads of concerning sections, D.P.I., office.

for information and necessary action.

2/ Collegewise distribution of the staff provided in the new set-up is enclosed vide annexure 'C'.

✓
K. K. K.

[Handwritten signature]

(21)

ANNEXURE 'A'
 STATEMENT SHOWING THE STRUCTURE AND STRENGTH OF THE
 SET UP OF THE STAFF FOR THE P.G.B.T. COLLEGE
 IN M.DHY. P.R.DESH.

<u>S.No.</u>	<u>Designation</u>	<u>Strength Sanctioned</u>	<u>No. of posts</u>	<u>Class</u>
<u>GAZETTED POSTS.</u>				
1.	Principal	11		I
2.	Professors	30		I
3.	Asstt. Professors	60		II
4.	Lecturers	49		II
<u>NON GAZETTED POSTS.</u>				
<u>Class III - Teaching.</u>				
5.	Teachers of Instructors	68		III
<u>Class III - Ministerial</u>				
6.	Librarian.	11		III
7.	Head Clerks	11		III
8.	Accountant.	8		III
9.	Lower Division Clerks.	19		III
<u>Class IV</u>				
10.	Lab. and Craft attendants	38		IV
11.	Peons.	41		IV
12.	Farrashes	11		IV
13.	Chowkidars	11		IV

Sd/- K.P. Shrivastava.
 Under Secretary to Government.
 M.P., Education Department.

Keft...
9.11.

50 Cof.

(22)

ANNEXURE 'B'

S.No.	Classification of posts	Number		Total
		Perma.	Temporary	

G.ZETTED POSTS.

1.	Principal	11	-	11
2.	Professors.	30	-	30
3.	Asstt. Professors	60	-	60
4.	Lecturers	49	-	49

NON G.ZETTED

Class III - Teaching.

5.	Teachers & Instructors	68	-	68
6.	Librarian	11	-	11
7.	Head Clerk	11	-	11
8.	Accountants.	8	-	8
9.	Lower Division Clerks	19	-	19

Class IV.

10.	Lab. & Craft attendants	38	-	38
11.	Peons.	41	-	41
12.	Farrashes	11	-	11
13.	Chowkidars	11	-	11

Sd/- K.P. Shrivastava,
Under Secretary to Govt.
Madhya Pradesh.
Education Department.

Alhina
3.11

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
EDUCATION DEPARTMENT

Memo No. 6347/239/XX-2 Bhopal, dt. the 9/6, 1966.

To

The Directors of Public Instruction,
Madhya Pradesh, Bhopal.

Sub:- Creation of additional posts for P.G.B.T. Colleges at
Sagar, Bilaspur and Gwalior.

Ref:- Your Note No. Trg/C/65/49, dated the 27th November, 1965, on
Education Department file.

In order to cope with the increased work load, the State
Government are pleased to accord sanction the creation of the
following temporary posts for the P.G.B.T. College, Sagar, Bilaspur
and Gwalior, with effect from the date of appointment upto 28th
February, 1967.

- i/ 3 posts of Assistant Professors in the scale of Rs. 225x
360-15-405-20-425-25-550-550-EB-25-700/- one post for
each P.G.B.T. College.
- ii/ 6 posts of Lecturers in the scale of Rs. 275-275-300-15-405
-EB-20-425-25-575/-. Two posts for each College.
- iii/ 9 Posts of Teachers/ Instructors in the scale of Rs. 150-
150-5-150-6-190-EB-6-220-10-240-240-EB-12½-290/-.
Three posts for each College.
- iv/ 3 posts of Accountants in the scale of Rs. 115-220/-
one for each College.
- v/ 3 posts of L.D.C. in the scale of Rs. 90-170/- one
post for each College.
- xxxi/ vi/ 6 posts of Lab./Craft attendents in the scale of Rs. 70-96/-
2 posts for each College.
- vii/ 3 posts of peons in the scale of Rs. 55-1-65/- one
post for each College.

The expenditure on this account should be debited to the
"head" Demand No. 24-Education 28-Education-Plan-A-University
A-i-Government Professional Colleges-A-4(4)-Government Training

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh.

Sd/- K.N. LOKRE
Assistant Secretary to Government,
Madhya Pradesh,
Education Department.

No. 6948/239/XX-2 Bhopal, dated the 9/6/66.

Copy with one spare copy forwarded to the Finance Department,
Madhya Pradesh, Bhopal, for information and communication to
Accountant General, Madhya Pradesh, Gwalior.

ANNEXURE 'C'

College	Class I	Class II	Class III	Class III (Ministerial)	Class III (H.C. Acctt.)	Class IV
	Principal Pro- less- ors.	Asstt. Prof.	Lect. Teaching Teachers & Inst.	Lib.	H.C. Acctt.	L.D.C. Lab. Books Furn- shes KIDAR
1	1	3	5	1	1	11. 1
2	2	6	7	1	1	12. 2
3	3	6	7	1	1	13. 4
4	3	6	7	1	1	14. 4
5	3	6	7	1	1	15. 4
6	3	6	7	1	1	16. 4
7	3	6	7	1	1	17. 4
8	3	6	7	1	1	18. 4
9	3	6	7	1	1	19. 4
10	3	6	7	1	1	20. 4
11	3	6	7	1	1	21. 4
12	3	6	7	1	1	22. 4
13	3	6	7	1	1	23. 4
14	3	6	7	1	1	24. 4
15	3	6	7	1	1	25. 4
16	3	6	7	1	1	26. 4
17	3	6	7	1	1	27. 4
18	3	6	7	1	1	28. 4
19	3	6	7	1	1	29. 4
20	3	6	7	1	1	30. 4

True-copy

Handwritten signature

Sd/-
For Director of Public Instruction
Madhya Pradesh.

Dated Bilaspur, the // // Dece., 62

My dear Shri. *W. J. G.*

Subject:- Appointment of additional staff as per set up of the staff of the P.G.B.T. Colleges.

A perusal of your office endt. No. Set-up-1962-Misc. 21, dated 9-11-62 enclosing distribution of the staff provided in new set up vide annexure 'C' is requested.

Following posts under different class and categories have been sanctioned for the Govt. P.G.B.T. College, Bilaspur but revised scales of pay applicable could not be clearly known from the records available in this office.

(A) Class III-Teachers
and
Instructors .. 4

(B) Class III-Ministerial --
Librarian 1
Headclerk 1
Laboratory
Attendant 2

I shall be grateful if revised scale of pay applicable to each post is early communicated. It may kindly be further elucidated if appointments of suitable candidates available should be effected presuming that there exists necessary provision in the Budget or necessary supplementary provision could be made thereafter.

2. In case the posts (noted against item (A) ^{above}) to be filled up carry higher scale of pay and thus beyond the competence of the Principal, P.G.B.T. College, I may request you for getting the orders expedited from your end so that the work of the college may not hamper and efficiency is maintained.

26

Express

D.O.No. 1624
Office of the Principal, Govt. P.G.B.T. College,
Bilaspur

Dated Bilaspur, the 11/12/Dece., 62

My dear Shri. *Chakraborty*

Subject:- Appointment of additional staff as per set up of the staff of the P.G.B.T. Colleges.

A perusal of your office endt.No.Set-up-1962-Misc.21,dated 9-11-62 enclosing distribution of the staff provided in new set up vide annexure 'C' is requested.

Following posts under different class and categories have been sanctioned for the Govt.P.G.B.T.Coll-ge,Bilaspur but revised scales of pay applicable could not be clearly known from the records available in this office.

- (A) Class III-Teachers
and
Instructors .. 4
- (B) Class III-Ministerial --
 - Librarian 1
 - Headclerk 1
 - Laboratory Attendant 2

I shall be grateful if revised scale of pay applicable to each post is early communicated. It may kindly be further elucidated if appointments of suitable candidates available should be effected presuming that there exists necessary provision in the Budget or necessary supplementary provision could be made thereafter.

above